03/01/25

वलीम वशीमि आदि पत्रावली का अवलोकन किया गया उक्त प्रा० पत्र में वादी आ० नं० 114 में चाहा गया है परन्तु आ० नं० 114 पर माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर, उदेही के मु० नं० 42/22 श्री हरि कलाद कोहलान में नया वाद नहीं निकालने बावत प्रमाण पत्र आदेश है इस कारण उक्त प्रा० पत्र पर वादिगण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है प्रा० पत्र इसी हाल पर बन्द किया जाता है। न्यायालय के निर्णय के पश्चात उक्त प्रा० पत्र में कोई अवरोध होने पर खोला है तो वादी प्रा० पत्र को पुनः पुनर्जीवित किया जाएगा। पत्रावली इसी हाल पर दाखिल दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.11.07 10:38:56 IST
Reason: SelfAttested